

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।
*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के नगर पंचायत, मदनपुर में पदस्थापित नगर कार्यपालक पदाधिकारी के माह सितंबर, 2025 से अगस्त, 2026 तक के वेतनादि (D.A, HRA एवं चिकित्सा भत्ता सहित) हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत सहायक अनुदान के रूप में कुल राशि ₹1453176.00 (चौदह लाख तिरपन हजार एक सौ छियहत्तर रुपये) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के नगर पंचायत मदनपुर में पदस्थापित नगर कार्यपालक पदाधिकारी के वेतनादि (D.A, HRA एवं चिकित्सा भत्ता सहित) के भुगतान हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत सहायक अनुदान के रूप में राशि ₹1453176.00 (चौदह लाख तिरपन हजार एक सौ छियहत्तर रुपये) मात्र निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है:-

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	कार्यपालक पदाधिकारी के वेतनादि हेतु राशि	कुल स्वीकृत की जाने वाली राशि (सितंबर, 2025 से अगस्त, 2026 तक)	पी०एल० खाता	HOA संख्या
1	2	3	4	5	6
1	नगर पंचायत, देव	1453176.00	1453176.00	ARDPLA009	00.8448.00.102.0003.00.01
	कुल	1453176.00	1453176.00		

2. स्वीकृत राशि ₹1453176.00 (चौदह लाख तिरपन हजार एक सौ छियहत्तर रुपये) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक- पत्रांक-236, दिनांक-09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर पंचायत, देव के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

3. उक्त स्वीकृत राशि ₹1453176.00 (चौदह लाख तिरपन हजार एक सौ छियहतर रूपये) मात्र नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत देव द्वारा नवगठित नगर पंचायत, मदनपुर में पदस्थापित नगर कार्यपालक पदाधिकारी को अविलंब वेतनादि मद में भुगतान कर दिया जायेगा। राशि भुगतान करने के बाद नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत देव द्वारा उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०-573, दिनांक-06.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है। तदालोक में राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक-63, दिनांक-11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. उक्त स्वीकृत राशि ₹1453176.00 (चौदह लाख तिरपन हजार एक सौ छियहतर रूपये) मात्र की निकासी, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत माँग सं०-48-नगर विकास एवं आवास विभाग, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष-0015-नगर निकायों में कार्यरत राज्यकर्मी, विपत्र कोड-48-2217-03-193-0015, विषय शीर्ष-0015-31-04 सहायक अनुदान-वेतन मद से की जायेगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

7. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति e-संचिका संख्या- BDGT_F/1/2026-SEC_2-UDHD DEPT-Part(1) के Note No.-4 पर दिनांक-24/08/2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन Note No.-7 पर दिनांक-25/08/2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- BDGT_F/1/2026-SEC_2-UDHD DEPT-Part(1) 154 न०वि०एवं आ० वि०/पटना, दिनांक- 25/8/26

प्रतिलिपि:- नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत देव एवं मदनपुर /कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद कोषागार, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आस सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आस सचिव/ प्रभारी पदाधिकारी प्रशाखा-02 एवं प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-06, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को सभी संबंधित को ई०मेल करने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 को (2 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।